35

समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

R.3104-II/14 प्रकरण क्र. /निगरानी/14

1. प्रकाश आ0 श्री मिश्रीलाल
2. अयोध्याबाई पत्नी श्री मिश्रीलाल
3. महेश आ0 श्री मिश्रीलाल
4. विनोद आ0 श्री मिश्रीलाल
5. अशोक आ0 श्री मिश्रीलाल

निवासीगण इन्दौर नाका सिहोर म0प्र0 .....आवेकदगण

विरूद्ध

सुदेश राय आ0 गेन्दालाल

निवासी ग्राम बढियाखेडी तहसील एवं

जिला सिहोर म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान तहसीलदार तहसील सिहोर जिला सिहोर द्वारा उनके प्रकरण क्र. 142/ अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 25/07/14 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार तहसील सिहोर जिला सिहोर के समक्ष अपने स्वत्व एवं स्वामित्व के खसरा क0 949 एवं 1050/1 रकवा 2.540 हे0 भूमि के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्र.क्र. 142/ अ–12/13–14 पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक अनावेदक कि भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। अनावेदक की कृषि भूमि से लगी हुई आवेदकगण की कृषि भूमि है । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी हितबद्ध एवं मेढ़ पड़ोसी (सहखातेदारों) को बिना सूचना पत्र जारी किए बिना ही अवैधानिक तरीके से अनावेदक से

[illegible]

R 3104-II/14 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि… आदि के हस्ताक्ष…
20.7.16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक एवं उसके अधिवक्ता के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।	20/7